(1400/RV/RU)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 4, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R.222(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 26th March, 2022, making certain amendments in Notification No. G.S.R.835(E) dated 3rd November, 2015 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949, Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980.

1402 बजे

(इस समय श्री हनुमान बेनिवाल आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नं. 5, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी।

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति) विनियम, 2022 जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्र सरकार की 14.12.2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5199(अ) के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईज 023 जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी024 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी025 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी026 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनआईसीसीएल/245 जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के अंतर्गत एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है।

(सात) का.आ. 2374(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में संचालित पाठ्यक्रमों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(आठ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/रेग023 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करने वाली 13.4.2022 की अधिसूचना का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नौ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/ एनएसई-आईएफएससी /262 जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 के अंतर्गत एनएसई आईएफएससी की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 350(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय सभापति : आइटम नं. 7, श्री राजीव चन्द्रशेखर।

… (व्यवधान)

1403 बजे

(इस समय श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह क्या हो रहा है? सुबह से गुहार लगाते आ रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नं. 8, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी जी।

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (i) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (i) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1360 (अ) जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और मैन्युफेक्चरिंग संस्थान, कुर्नूल के अध्यादेश बनाए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Draft Notification No. F. No. 3/4/2022-EM Part-(1) (Hindi and English versions) pertaining to the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 under sub-section (2) of Section 31 of the said Act.

(2) A copy each of the Reports (Hindi and English versions) of the National Housing Bank on the Trend and Progress of Housing in India, 2020 for the years 2020 and 2021.

(3) A copy of the Public Enterprises Survey, 2020-2021 (Volume I & II) (Hindi and English versions).

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

I. Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services-Army) (Report No. 3 of 2022)-Performance Audit on Inventory Management in Ordnance Services.

II. Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 2 of 2022)-Performance Audit on Management of Spectrum assigned on the administrative basis to Government Departments/Agencies, Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

I. Appropriation Accounts of Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2020-2021 (Part I-Review).

II. Appropriation Accounts of Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2020-2021 (Part II-Detailed Appropriation Accounts).

III. Appropriation Accounts of Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2020-2021 [Part II-Detailed Appropriation Accounts- (Annexure-G)].

(6) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Mumbai, for the year ended March 31, 2022.

(7) A copy of the Life Insurance Corporation of India General (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.171(E) in Gazette of India dated 4th March, 2022 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

(8) A copy of the Notification No. S.D.(B.S.) No. 2823-2022/02.14.005 (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 16th April, 2022, making amendments to the Regulation No. 24 of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949 under sub-section (4) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(9) A copy of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. PFRDA/12/RGL/139/1 in Gazette of India dated 25th May, 2022 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

… (व्यवधान)

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य - सभा पटल पर रखा गया

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास' के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी

माननीय सभापति : आइटम नं. 5, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय सभापति : आइटम नं. 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर की ओर से, मैं वर्ष 2022-2023 के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नं. 8, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) गुजरात समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021 – EXTENSION OF TIME

1404 hours

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): I beg to move:

> "That this House do extend up to the first week of Monsoon Session, 2022 of Parliament the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021."

(1405/MY/SM)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा जैव विविधता विधेयक (संशोधन), 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के मानसून सत्र, 2022 के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

FAMILY COURTS (AMENDMENT) BILL

1405 hours

माननीय सभापति: आइटम नंबर 13.

श्री किरेन रिजीजू।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Family Courts Act, 1984. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री डी. रवि कुमार जी – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन जी।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I want to oppose the introduction of this Bill. … (*Interruptions*)

You are not allowing the House to run. …(*Interruptions*). सुबह से ही हम लोग बार-बार गुहार लगा रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I introduce the Bill.

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1407 बजे

माननीय सभापति: नियम 377 के अंतर्गत जिन माननीय सदस्यों को आज विषय प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, वे कृपया अपने पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

…(व्यवधान)

Re: Inclusion of Khetauri, Ghatwal-Ghatwar and others in the list of Scheduled Tribes

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I refer to the matter raised under Rule 377 in Parliament regarding inclusion of Khetauri,Ghatwal-Ghatwar and others as Scheduled Tribes and received a reply from the Hon'ble Minister of Tribal Affairs. But, amidst all of this, no development has taken place in this regard so far. In this context, I want to place a piece of great historical record – a book titled: "The Little World of an Indian District Officer", written by R. Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book there is a detailed historical record of the fact that the Santhal Parganas was created and named in 1855, and thus was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. These details that at the time of the Permanent Settlement there was not a single Sonthal in the whole of this area. "Bhunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders – yes, but Sonthals, no". It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the, nomenclature of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today. Thus the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes.

(ends)

Re: Damage caused by annual flood in River Ganga in Misrikh Parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला छिबरामऊ सहित काफी गाँवों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वे आवासविहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहाँ उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है वहीं वे बेधर भी हो जाते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के निश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराने, पानी का कराए जाने तथा फैलाव रोकने, आवासहीन ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था कराए जाने तथा प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने हेतु एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं और जब तक बांध का निर्माण नहीं होता है, तब तक कटान को रोकने के लिए छोटी-छोटी ठोकर बनवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

धन्यवाद सहित,

(इति)

Re: Setting up of a branch of Nationalised Bank in Bamorekalan in Guna Parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र गुना के अंतर्गत आने वाले बमौरकलां थाना क्षेत्र और आस पास के गाँव की आबादी 50 हज़ार से अधिक है और करीब 33 पंचायतों में लेनदेन बमौरकलां बाजार से किया जाता है। नगरीय क्षेत्र होने के कारण किसानों की अच्छी उपज भी होती है जिसके परिणामस्वरूप उनका बैंक के माध्यम से लेनदेन भी होता है। 25 वर्षों से यहाँ कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या एटीएम के अभाव के कारण क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है, जिसमे प्रमुख रूप से व्यापारी, दुकानदार और रिटायर्ड पेंशनधारी है जिनको पैसे निकालने के लिए खनियांधाना या चंदेरी जाना पड़ता है, जो कि क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र के वासियों को बैंक के काम के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इसके कारण व्यापारियों को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग पेंशनधारियों को सबसे ज़्यादा असुविधा होती है क्योंकि उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि बमौरकलां में तत्काल एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा के संचालन की स्वीकृति दी जाए जिससे इस क्षेत्र के व्यापारी, पेंशनधारी और निवासियों को किंग सुविधाओं से वंचित ना रहना पड़े और सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ भी बैंकों के माध्यम से आम आदमी को प्राप्त हो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है।

(इति)

Re: Need to curb fraudulent mobile app loan.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं आपका ध्यान देशभर में मोबाईल ऐप के माध्यम से हो रही धोखाधड़ी की ओर आकर्षित करना चाहूगां कि प्रतिवर्ष लाखों लोग ऐप के माध्यम से लोन लेकर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे है। पीड़ित लोगों में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें मात्र 2-3 हजार से लेकर 50,000/- रुपये तक की आवश्यकता होती है एवं जिनके पास बैंक से लोन लेने के लिए दस्तावेज अधूरे होते है। इन मोबाईल ऐप्स के द्वारा सारा डाटा एक्सेस कर इनका इस्तेमाल वसूली व धमकाने में किया जा रहा है। कई बार तो जब लोन चुकाए जाते है तब एपलिकेशन ही गायब हो जाता है| इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा एप्स के माध्यम् से लोन नहीं लेने के विज्ञापन जारी किये जाते है और प्ले स्टोर से सैकड़ों ऐसे ऐप्स को डिलिट भी किया जाता है, लेकिन आज भी बहुत ऐसे एप्स प्ले स्टोर पर मौजूद है जिनका विज्ञापन भी ओटीटी सीरीज के बीच बिना पूर्वानुमति के दिखाया जा रहा है | मेरा सदन के माध्यम से वित्त मंत्री, आई.टी., सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे एप्स पर तुरन्त लगाम लगानी चाहिए और रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रेशन या आई.टी विभाग की पूर्वानुमति के बाद ही इनको प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड करने की अनुमति दी जानी चाहिए |

(इति)

Re: Sluggish implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Bihar particularly in Darbhanga.

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय इस महत्वपूर्ण परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों व पुलों का निर्माण एवं विकास करना है जिसके माध्यम से लोगों को सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान हो सके। अध्यक्ष महोदय दरभंगा संसदीय क्षेत्र पूर्णतया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में सड़क संबंधी निर्माण कार्य मात्र 4 से 5 महीने ही संपादित हो सकते हैं। महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत ना केवल दरभंगा अपितु बिहार राज्य सबसे पिछड़े पायदान पर है और जिसका प्रमुख कारण P.E.C एवं E.C के माध्यम से स्वीकृति में विलंब है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि अविलंब पदाधिकारियों को P.E.C एवं E.C की बैठक जल्द आहूत करने हेतु दिशा निर्देश दिया जाए ताकि दरभंगा सहित बिहार राज्य से संबंधित डीपीआर जो ऑनलाइन हो चुका है उसको स्वीकृति मिल सके और सड़क निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जा सके।

(इति)

Re: Augmentation of irrigation facilities in Banaskantha parliamentary constituency, Gujarat

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा):महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले के अंतर्गत धानेरा, दांतीवाडा, लाखनी, डीसा, थराद, अमीरगढ, दांता, पालनपुर , और दीयोदर तहसीलों में भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे है और यह भूजल स्तर निरंतर नीचे जाता ही जा रहा है। यदि हम भूजल के वर्तमान स्तर की बात करें तो यहाँ हजार फुट पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। यह अपने आप में एक जटिल एवं विकराल समस्या का रूप ले रही है और किसान इस समस्या के कारण त्रस्त हैं। इसी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ में स्वयं भी एक किसान हूँ इस नाते मैं किसानों की यह पीड़ा को भली भांति महसूस कर सकता हूँ। महोदय, मेरा यह क्षेत्र किसान बाहुल्य है और यहाँ के सभी किसान कृषि और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इनके पास आय का दूसरा कोई स्रोत भी नहीं है इसलिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में भी अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भारत में भूजल भण्डार के लगातार कम होने की चिंता को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान साबरमती लिंक कैनाल को बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। यदि इस कैनाल का कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाये तो मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त बताये गए तहसीलों में पानी की सिंचाई का एक नया स्रोत मिल जायेगा जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा और एक जटिल समस्या का कुछ हद तक निवारण भी हो सकेगा। महोदय, इस कैनाल के साथ हमें और भी सिंचाई के साधन को तलाशना होगा जिससे कि इस समस्या का पूर्णतः निवारण हो जाये। अतः मेरा आपके माध्यम से मा. मंत्री जी से निवेदन है की मेरे बनासकांठा संसदीय क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये।

(इति)

Re: Setting up of a post office at Sansad Adarsh Gram Panchayat Belawan, Rampur Block, Kaimur district, Bihar.

श्री छेदी पासवान (सासाराम): महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सतरहवीं लोकसभा में मेरे द्वारा दूसरा सांसद आदर्श ग्राम पंचायत-बेलावॅं, प्रखण्ड-रामपुर, जिला-कैमूर (बिहार) को सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत गोद लिया गया है, जहॉं के नागरिकों के सर्वांगीण विकास एवं मूलभूत सेवाओं को माननीय प्रधान मंत्री जी के मंशा के अनुरूप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह ग्रामपंचायत एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, जहॉं गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों की बहुलता है, और उन्हे सभी प्रकार से विकसित करना सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है। ज्ञातव्य हो कि 3-4 कि0 मी0 के अंदर इस पंचायत में कहीं भी पोस्ट ऑफिस नहीं है। पोस्ट ऑफिस के अभाव में लगभग 10000 (दस हजार) जनता एवं कर्मचारीगण डाक सेवा से वंचित हैं। इस सुदूर इलाके में सांसद आदर्श ग्रामपंचायत का चयन किया गया है। यहॉ पोस्ट ऑफिस का ब्रान्च स्थापित करना अति आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि सदन के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर सांसद आदर्श ग्राम पंचायत-बेलॉव (प्रखण्ड-रामपुर) जिला-कैमूर (बिहार) में शीघ्र डाकघर की स्थापना हेतु संचार मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए। (इति)

Re:Need to connect Sohagara Dham with Ramayan Circuit and development of other tourist places in Salempur Parliamentary constituency, Uttar Pradesh.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):महोदय मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर (उत्तर प्रदेश) पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर राम जानकी पथ गुज़रता है जो रामायण सर्किट का हिस्सा है। राम जानकी पथ से केवल छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोहगरा धाम में एक पौराणिक शिव मंदिर है, जहाँ पर जनकपुर से अयोध्या जाते समय माता सीता ने महादेव शिव की पूजा अर्चना की थी, लेकिन इस पौराणिक मंदिर को रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया है जिसके बिना रामायण सर्किट अधूरा है। इसके अलावा सोहगरा धाम से सटे हुए दिगेश्वरनाथ धाम, सोहनाग धाम एवं मईल चौराहा पर विश्व प्रसिद्ध संत देवराहा बाबा का आश्रम है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बलिया में महान ऋषि और भृगु संहिता के रचयिता भृगु ऋषि का आश्रम है और बिहार की सीमा से लगे सोहनपुर में श्री राम जानकी मंदिर और एक विशाल तालाब है जिसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है । इन स्थानों को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अतः मैं मान्य सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि सोहगरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ने और सोहनाग धाम , दिगेश्वर नाथ धाम , देवराहा बाबा आश्रम मईल , श्री राम जानकी मन्दिर सोहनपुर और भृगु ऋषि आश्रम बलिया, को विकसित करने की कृपा करें। धन्यवाद ।

(इति)

Re: Further education of Ukraine-returnee medical students in Indian medical colleges

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): महोदय देश में मेडिकल शिक्षा दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगी है इसलिए हर वर्ष हज़ारों छात्र मेडिकल शिक्षा लेने हेतु विदेशों में जाते है। सरकार को मेडिकल शिक्षा सस्ती करने हेतु सख्त कदम उठाने चाहिए है। जनसंख्या के हिसाब से देश में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। हर वर्ष जितने डॉक्टर देश को मिलने चाहिए उससे भी कई गुना कम डॉक्टर निकलते है। और जो निकलते है उनमे से भी बहुत से विदेशो में चले जाते है। हाल ही में रूस-युक्रेन युद्ध के बाद हज़ारों की संख्या में मेडिकल छात्र आखिरी साल से लेकर पहले साल तक अपने देश आए है। इन छात्रों के माता-पिता ने लाखों रुपए खर्च कर इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन युद्ध के बाद हालात सभी के सामने है। सरकार ने आखिरी साल वालों को यहाँ एडजस्ट करने की बात की है लेकिन जो हज़ारों छात्र पहले-दूसरे-तीसरे साल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचा है? सरकार को इन सभी छात्रों को अपने देश के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाकर इन सभी छात्रों को अडजस्ट करना चाहिए। ताकि इन छात्रों की सालें बर्बाद न हो और इनके माता-पिता की सालों की कमाई भी बर्बाद होने से बच सके। (इति)

Re: Provision of salary, allowances and other facilities to wardens of civil defence service.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों द्वारा देश की आतंरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था में समय-समय पर सहयोग किया जाता है लेकिन इसके एवज में इन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण भत्ता, ड्यूटी भत्ता, वेतन अथवा मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है। देश के अनेक राज्यों में नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को भत्ता, वेतन व मानदेय सहित पुलिस जैसी वर्दी तथा स्थानीय स्तर पर होमगार्डस् की तरह पुलिस थानों में कमरा भी दिया जाता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को अन्य राज्यों की तरह प्रशिक्षण भत्ता, ड्यूटी भत्ता, वेतन अथवा मानदेय सहित प्रत्येक पुलिस थाने में एक कमरा भी दिलाया जाये ताकि स्थानीय स्तर पर पुलिस के साथ इनका बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

(इति)

Re: Release of funds for works undertaken under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय,मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जिसमें फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण, वितरण प्रणाली, सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कुल राशि 2885.87 करोड़ रूपये की कुल 50 परियोजनाएं मध्य प्रदेश हेतु स्वीकृत की गई थी। उक्त योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20393 ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया। 312671 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को नि:शुल्क कनैक्शन दिये जाने के प्रावधान के साथ 145, 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र बनाये गये। 21590.25 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाइन और 25633.3 किलोमीटर एल.टी. लाइन के कार्य किये गये हैं तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 46 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। उक्त योजनाओं में से सभी 50 परियोजनाओं के संपूर्ण कार्य का प्रतिवेदन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक क्लेम राशि जारी नही की गई है। आपके माध्यम से माननीय
मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द राशि स्वीकृत किया जाय।

(इति)

Re: Grant of bail to alleged accused persons in Mumbai, Maharashtra.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश में एक सामान्य व्यक्ति से लेकर प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारागंभीर धाराएं लगाए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें जमानत इत्यादि में न केवल अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक अपव्यय भी हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ही आज की स्थिति के अनुसार 5 हजार से अधिक जमानत से संबंधित मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा 11 जुलाई, 2022 में दिए गए उस जजमेंट की ओर भी दिलाना चाहूंगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से किमिनल केसों में आरोपियों की जमानत पर रिहाई को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने पर विचार किए जाने हेतु कहा है।

यह भी अत्यधिक चिंता का विषय है कि पुलिस द्वारा लोगों के ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, उनमें एक लम्बी कानूनी प्रक्रिया के 10-15 वर्षों बाद दोषी निर्दोष साबित होकर न्यायालय से इज्जत बरी होकर निकल जाते हैं। लेकिन, बाहर आकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के अनुसार किमिनल केसों में आरोपियों की जमानत पर रिहाई को सरल बनाए जाने हेतु नया कानून बनाने और इसमें ऐसे मामलों में, जिनमें पुलिस द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हो पाते हैं, उनमें संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेवारी सुनिश्चित करते हुए दण्डात्मक प्रावधान किए जाएं ।दूसरे, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि देश में विशेषकर मुंबई महानगर में जमानत से संबंधित लंबित वादों की संख्या में निरंतर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर रियायत देते हुए लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाए।

(इति)

Re: Need to provide compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of the UT of Jammu & Kashmir.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की और ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी और जो खेती की जमीन थी, जिसे अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। उनका जमीन ही एकमात्र सहारा है। जबसे उनकी जमीन तार के उस पार चली गयी है, तब से वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहें है। उनकी भुखमरी की नौबत आ गयी है। इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है? ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें अभी तक उस जमीन का मुआवज़ा मिला है। जिससे कि वह आपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। अत: अध्यक्ष महोदया जी मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें।

धन्यवाद। (इति)

Re: Expediting of 6-laning work of NH-65 from Hyderabad to Vijayawada

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to bring to your kind notice the need to expedite the 6-laning work of NH-65 from Hyderabad to Vijayawada Section which was to be commenced by April, 2022 and completed by April, 2024. Section 93 of AP Re-organization Act, 2014 and Schedule 13 provides Rapid Rail and Road Connectivity but the same has not materialized which will defeat the very purposes of the assurances provided in the A.P. State Bifurcation Act resulting in stalling of infrastructure development of both the States of Andhra Pradesh and Telangana. To meet the present requirements, 6-laning of this stretch is very much essential to avoid frequent accidents and as Telangana is a landlocked State, it requires improved road network to reach various ports in Andhra Pradesh rapidly. I, therefore, request the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, through the Chair, to kindly give necessary instructions immediately to the concerned officials to expedite the 6-laning work of the NH-65 from Hyderabad to Vijayawada Section.

(ends)

Re: Stoppage of trains at Sarupathar Railway Station

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): I want stoppage of Jan Shatabdi Express, BG Express & Weekly Chennai Express at Sarupathar Railway Station. Sarupathar, one of the busiest railway stations in Golaghat, attracts large revenue as passengers to Nagaland also travel from this station. The area does not have an airport within a 100 km radius and night travelling is also dangerous due to wild life presence. Station collects more revenue than Hojai & Mariani station where all major trains have stops in reservation & current tickets category respectively. In addition to this, one pair of DEMO passenger train in between Mariani-Lumding Station may also please be introduced, which will help the inhabitants. There is a need of stoppage of Guwahati Intercity Express (15606) at Khumtai Railway Station. Similarly, Khumtai Railway station in Borua Khat, Assam is in close proximity to tea gardens like Khumtai Tea Estate, Butalikhuwa Tea Estate, Sundariting Tea Estate and Goriyajan Tea Estate. Due to lack of railway connectivity, the inhabitants of the region are unable to market their cultivated produce effectively. There is requirement of level crossing near Chungajan Railway station. I request a Level crossing near Chungajan Railway Station in front of Chungajan Higher Secondary School. Due to lack of level crossing, students and villagers are facing difficulties, which may lead to accidents in near future.

(ends)

Re: ESI facility for contract workers of Salem Steel Plant

SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): Salem Steel Plant has more than 1000 contract workers working for many years. These contract workers are not yet getting ESI facility. Several inquiries were made from the SSP office regarding this. ESI facility is available only to IndcoServe and Security personnel working in Salem Steel Plant. While I enquired with the related officials, they said Salem Steel Plant is located in ESI non-implemented area as on date and hence ESI benefit could not be provided to workers working in such area. The extension of ESI benefit to entire Salem District is under progress. I request the Hon'ble Minister through you to speed up the process to implement the ESI scheme in the entire Salem District. It will help the contract workers and others to get ESI facility.

(ends)

Re: Need to declare Nabinagar-Barun road as National Highway.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, आपके माध्यम से मै सरकार का ध्यान अनुग्रह नारायण रोड सिरिस-चरण अंकोरहा मंझिआँव पथ जो नबीनगर-बारुण मुख्य सड़क को राष्ट्रीय राज्य मार्ग (नेशनल हाईवे) में शामिल कराने के संबंध मे आकर्षित कराना चाहता हूँ | महोदय, मेरे काराकाट लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नबीनगर विधानसभा क्षेत्र का अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन जिला मुख्यालय का मुख्य स्टेशन है। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सड़क के अभाव में डेहरी-ऑन-सोन रेलवे स्टेशन रोहतास में जाकर ट्रेन का सफर करना पड़ता है। जबकि अनुग्रह नारायण रोड से मुशी बिगहा, जीवा बिगहा, सिरिस के रास्ते चरण, रेगानियाँ मंझौली, सोनोरा, अंकोरहा, एन. पी. जी. सी. एल., बी. आर. बी. सी. एल. एवं एन. टी. पी. सी. को जोड़ने वाली नबीनगर बारुण मुख्य सड़क है | इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। नबीनगर बारुण मुख्य सड़क को राष्ट्रीय राज्य मार्ग (नेशनल हाईवे) में शामिल कराने से इस क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। खासकर के एन. टी. पी. सी. के दो दो मेगा पावर परियोजना के अधिकारी/कर्मचारी को अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन जाने में काफी सुविधा होगी तथा नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन एवं जिला मुख्यालय में सुविधा होगी तथा समय भी कम लगेगा। अत: सदन के माध्यम से मै सरकार से मांग करता हूँ कि नबीनगर-बारुण मुख्य सड़क को राष्ट्रीय राज्य मार्ग (नेशनल हाईवे) में शामिल किया जाय।

(इति)

Re: Release of pending dues of sugarcane farmers.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देश के गन्ना किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि गन्ना खरीद का बकाया भुगतान अभी तक गन्ना किसानों को नहीं मिल पाया है। बकाया भुगतान पर जो भी उचित ब्याज बनता है तथा जो बकाया भुगतान गन्ना किसानों को नहीं मिला है, उसे ब्याज के साथ जोड़कर जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। ताकि देश की रीड़ की हड्डी (कृषि क्षेत्र) मजबूत होगा एवं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश का किसान खुशहाल रहेगा।

(इति)

Re: Steps to solve Bank fraud cases

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Hon'ble Speaker Sir, I would like to draw the kind attention of the House towards the reported bank frauds in the country. I would like to state that the Hon. Prime Minister in his Independence Day speech on 15th August, 2019 had promised to make the Indian economy a $5 trillion economy, by 2024 but instead, in just over seven years, bank fraud has surpassed $5 trillion. It's worth noting that India's total fraud loans in 2020-21 alone amounts to Rs. 1.37 lakh crore, accounting for 99 per cent of all bank frauds. Banks operating in India accounted for fraud of Rs 4.92 trillion as of March 31, 2021, accounting for over 4.5 per cent of the total bank credit. The public sector banks have borne the worst of the scams so far. According to the figures for 2019-21, public sector banks are responsible for Rs 2.94 lakh crore in frauds, while private sector banks are responsible for Rs 86,355 crore. I request the Hon'ble Finance Minister, through the Chair, to kindly intervene in the matter and take necessary steps to solve such bank fraud cases and recover the same.

(ends)

Re: Establishment of a CGHS Wellness Centre in Satara District, Maharashtra

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA): There is a long-standing demand for establishment of CGHS Wellness Centre in Satara, Maharashtra in my Lok Sabha constituency for Central Government employees, pensioners, army jawans and their family members. During the Covid 19 Pandemic, Central Government employees, pensioners and family members of Army jawans have undergone numerous hardships due to inadequate Central Government supported health care services in my Satara district. At present, there are CGHS facilities and Wellness Centres in Pune. Due to travel time involved and physical hardship, employees and pensioners from my area find it difficult to avail the services provided at Pune. There is a genuine need for establishment of one CGHS Wellness Centre in Satara District. It will be beneficial for a large number of serving Central Government employees, pensioners, army jawans and their families in the pocket of Satara and nearby Sangli, Kolhapur and Ratnagiri Districts of Maharashtra. There are many multispeciality hospitals in Satara districts willing to join CGHS empanelment. In view of above, you are requested to set up a CGHS Wellness Centre in Satara District of Maharashtra.

(ends)

Re: Airfare from Gulf countries to Kerala

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): I want to draw the attention of the Government through this august House towards the unfortunate situation of the air ticket fare hike in the sectors from the Gulf countries to Kerala without any prescribed limit during the vacations. This has led the pravasi passengers to a very difficult situation. They are compelled to pay four or five times of the actual fare for just coming home during the vacation. The rate from the gulf countries to Kerala becomes higher than that of a return trip to Europe. Many of the pravasi passengers were compelled to cancel their journeys to their motherland due to this difficult situation. The ticket fare of those who travel with family members amounts to lakhs of Rupees. During the vacation, number of passengers in this sector increases substantially. Therefore, it is unfair to increase the fare in this manner. I request the Government to intervene in this matter and take urgent steps to check this trend.

(ends)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1407 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 जुलाई, 2022 / 28 आषाढ, 1944 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।